

मांग संख्या 27  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

छात्र दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत दावा राशि हेतु ₹ 298.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

02 हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के लिए स्थान परिवर्तन हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा :-

क्र.	पूर्व स्वीकृत स्थान	परिवर्तन स्थान
2	शा. हाई स्कूल नेवारीकला वि.ख. बालोद जिला बालोद	शा.हाई स्कूल सरेखा जिला बालोद
6	शा. हाई स्कूल दरबार मोखली वि.ख. पाटन जिला दुर्ग	शा.हाई स्कूल खुड़मुडी वि.ख. पाटन जिला दुर्ग

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

मोटर दावा दुर्घटना के भुगतान हेतु डिक्री धन मद में ₹ 11.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।